

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No.2020/00172 (Bank Case)

Manual no- 57/2020

एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राम कल्याण जाति रावल निवासी 253 क, शंकर किराणा स्टोर, बापू नगर, कुन्हाडी जिला कोटा (राज.) 324008
(ऋणी / बंधककर्ता)
2. श्रीमति सीमा बाई पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति रावल निवासी 253 क, शंकर किराणा स्टोर, बापू नगर, कुन्हाडी जिला कोटा (राज.) 324008 (सह-ऋणी/बंधनकर्ता)
3. श्री इंद्रा प्रकाश पुत्र श्री तेजपाल रेगर जाति रेगर निवासी 73-1592, शंकर किराणा स्टोर, बापू नगर, कुन्हाडी जिला कोटा (राज.) 325001 (जमानती)
4. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बंशी लाल निवासी गणेशपारा, धाकडखेडी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) 325001

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री धीरेन्द्र धाकड़, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक:-14 .10 .2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 07.03.2018 को 6,50,000/- (अक्षरे: रूपये छह लाख पचास हजार मात्र ।) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राम कल्याण एवं श्रीमति सीमा बाई पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति रावल की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 2015/1223, RAY 073/1760, बापु नगर, कुन्हाडी जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 109.68 वर्ग गज है । चतुःसीमा- पूर्व में-श्री प्रभु लाल का प्लॉट, पश्चिम में- बाउंड्री , उत्तर में-रोड, दक्षिण में- श्री संजय का प्लॉट ,जिसका पट्टा नगर विकास न्यास जिला कोटा द्वारा क्रमांक/ नियमन-आवंटन/ 2015/1223 दिनांक 16.01.2015 से अप्रार्थीगण सीमा बाई एवं महावीर के नाम जारीसुदा है, को प्रार्थी ने वित्तीय सस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय सस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 21.11.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 7,51,054 रूपये (अक्षरे:- सात लाख इक्कावन हजार चौवन रूपये मात्र ।) दिनांक 12. 03.2019 तक व दिनांक 13.3.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय सस्था ने उक्त



20
रिजिस्ट्रार

एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12 जनवरी 2020 को प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 15.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 12.01.2020 को प्रकाशन भी कराया गया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की अचल सम्पत्ति श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राम कल्याण एवं श्रीमति सीमा बाई पत्नि श्री महावीर प्रसाद जाति रावल की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 2015/1223, RAY 073/1760, बापु नगर, कुन्हाडी जिला कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 109.68 वर्ग गज है। चतुःसीमा— पूर्व में—श्री प्रभु लाल का प्लॉट, पश्चिम में— बाउंड्री, उत्तर में—रोड, दक्षिण में— श्री संजय का प्लॉट, जिसका पट्टा नगर विकास न्यास जिला कोटा द्वारा क्रमांक/ नियमन—आवंटन/ 2015/ 1223 दिनांक 16.01.2015 से अप्रार्थीगण सीमा बाई एवं महावीर के नाम जारीसुदा है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को सुनाया गया।


(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा